

ईश प्रेम बस्ती व मोती नगर स्थित कुष्ठ रोगी बस्ती के रहवासियों को शीघ्र मिलेगा धोलावाड़ का मीठा पानी निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्थलों का निरीक्षण

रतलाम 01 सितम्बर। धोलावाड़ रोड स्थित ईश प्रेम बस्ती व मोती नगर स्थित कुष्ठ रोगी बस्ती के रहवासियों को धोलावाड़ का मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, उपयंत्री श्री सुहास पंडित, पूर्व क्षेत्रिय पार्षद प्रतिनिधि श्री राकेश मीणा, पूर्व पार्षद श्री सतीश भारतीय के साथ स्थलों का निरीक्षण कर पेयजल सप्लाय प्रारंभ करने के निर्देश संबंधितों को दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया को निरीक्षण के दौरान अवगत कराया गया कि उक्त क्षेत्रों में पेयजल पाईप लाईन डाली जाकर उन्हे मुख्य पाईप लाईन से जोड़ा भी जा चुका है किन्तु रोड़ निर्माण के दौरान पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने से उक्त दोनो क्षेत्रों में पेयजल सप्लाय नहीं हो पा रहा है, पाईप लाईन दुरस्ती के पश्चात उक्त दोनो क्षेत्रों में पेयजल सप्लाय के साथ ही शंकरगढ़ व राम नगर में पेयजल सप्लाय प्रारंभ किया जा सकता है।

इस अवसर पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि पाईप लाईन दुरस्ती का कार्य शीघ्र किया जाकर पेयजल सप्लाय प्रारंभ की जाये साथ ही कैम्प लगाकर नागरिकों की जलकर डायरी भी 10 दिनों में बनाई जाये।

मोती नगर के निरीक्षण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीएलसी भवन निर्माण कार्य का निगम आयुक्त श्री झारिया ने अवलोकन कर हितग्राहियों से भवन निर्माण हेतु अब तक कितनी किश्ते प्राप्त हुई है की जानकारी ली।

सुभाष शॉपिंग काम्प्लेक्स की दुकाने विक्रय हेतु कार्यशाला संपन्न कार्यशाला में निविदा प्रक्रिया व शर्तों से कराया अवगत

रतलाम 01 सितम्बर । शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग महु रोड पर स्थित सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्प्लेक्स की 99 दुकानों के विक्रय हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में अलकापुरी कम्युनिटी हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें व्यापारी, दुकानदार व नागरिकों को दुकानें क्रय करने हेतु निविदा प्रक्रिया व शर्तों से अवगत कराया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया आयोजित कार्यशाला में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सुभाषचन्द्र शॉपिंग काम्प्लेक्स में निर्मित जानकारी से नागरिकों को अवगत कराते हुए बताया कि 102 दुकानों में से शेष 99 दुकानों का विक्रय नगर निगम द्वारा ऑन लाईन निविदा के माध्यम से किया जाना है जिसकी निविदा शीघ्र जारी की जायेगी।

उन्होंने बताया कि शहर की आबादी के मान से दुकानों का आरक्षण तय कर दिया गया है साथ ही कलेक्टर गाईड लाईन अनुसार दुकानों का आरक्षित मूल्य भी तय कर दिया गया है। वर्तमान में दुकानों की रंगाई-पुताई व मरम्मत का कार्य प्रारंभ है। काम्प्लेक्स में निगम द्वारा कार्यालय संचालित किया जा रहा है कोई भी नागरिक कार्यालय समय में उपस्थित होकर दुकानों की जानकारी लेने के साथ ही दुकानों को देख भी सकते है।

इस अवसर पर उन्होने बताया कि दुकान आवंटन होने पर 25 प्रतिशत राशि व 120 दिवस या उससे पहले संपूर्ण राशि जमा कराने पर एक सप्ताह में रजिस्ट्र संपादित करा दी जायेगी। आवंटन के समय यदि एक साथ 10 वर्ष की लीजरेंट राशि जमा करा दी जाती है तो उसे फ्री होल्ड किया जाकर संपूर्ण मालिकाना हक प्राप्त होगा इसके पश्चात सिर्फ वार्षिक भू-भाटक ही जमा कराना होगा।

कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास ने इस अवसर पर ऑन लाईन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि दुकान क्रय करने वाले व्यक्ति को ऑन लाईन टेण्डर भरे जाने हेतु सर्विस प्रोवाइडर की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

आयोजित कार्यशाला उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, में कार्यपालन यंत्री श्री जी. के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री शैलेन्द्र गोठवाल के अलावा सर्वश्री मुर्तजा तालवाला, राजेन्द्र मूणत, हुसैन जमाली, इलियास खान, शोएब खान, मनीष जोशी, प्रमोद जोगी, उत्कर्ष आचार्य, आदर्श आचार्य, पी.के. आचार्य, मोहम्मद नावेद, राजु, अंकित जैन, गौरव रसेला, अनोखीलाल राठौड़, लक्की राठौड़, रवि प्रजापत, अनिल भटनागर, राहूल वोरा सहित व्यापारी, दुकानदार व नागरिक उपस्थित थे।

सागोद रोड क्षेत्र से हटाई 75 अवैध गुमटियां अवैध गुमटीधारी अपनी गुमटी स्वयं हटा लें

रतलाम 01 सितम्बर | शहर के मुख्य मार्गों के आसपास अवैध रूप से लगाई गई गुमटियों को हटाने व राजसात करने अभियान के तहत निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में सागोद रोड जैन स्कूल से रेलवे ब्रीज तक लगी 75 अवैध स्थाई व अस्थायी गुमटियों को नगर निगम के राजस्व व लोक निर्माण विभाग के अमले द्वारा हटाया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशन में सागोद रोड जैन स्कूल से स्थाई व अस्थायी अवैध गुमटियां हटाने का कार्य प्रातः प्रारंभ किया गया जिसके तहत रेलवे ब्रीज तक 75 अवैध गुमटियां हटाई गई व 13 गुमटियों को राजसात किया गया। नगर निगम के राजस्व अमले द्वारा अवैध गुमटियां हटाने की शुरुआत की गई जिसके तहत 75 अवैध गुमटियां हटाई जाकर 13 गुमटियों को राजसात किया गया। शहर के मुख्य मार्गों पर लगी अवैध गुमटियों को हटाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा। अवैध गुमटी धारी अपनी गुमटियां स्वयं हटा लें अन्यथा गुमटियों को हटाकर राजसात किया जायेगा साथ ही जुर्माना भी वसूला जायेगा।

इस अवसर पर कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, उपयंत्री सर्वश्री राजेश पाटीदार, मनीष तिवारी, ब्रजेश कुशवाह, सहायक राजस्व निरीक्षक श्री सुनील कपूर व राजस्व तथा लोक निर्माण विभाग का अमला उपस्थित था।

पशु पालक शहरी क्षेत्र में नहीं करें भैंसों का पालन भैंसों के बाढ़े व तबेलों को आज से हटाया जायेगा

रतलाम 01 सितम्बर | रतलाम शहर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंसों पर लगाम लगाने हेतु नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र में भैंसों के बाढ़े व तबेलों का सर्वे पूर्ण किया जाकर 29 तबेले चिन्हित किये गये हैं जिन्हें 02 सितम्बर गुरुवार से हटाने की कार्यवाही नगर निगम द्वारा की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगर में स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाली भैंस की संख्या बढ़ती जा रही इस हेतु शहर में स्थित अवैध रूप से संचालित सभी तबेलों का सर्वे नगर निगम द्वारा कराया जा चुका है। शहरी क्षेत्र में भैंसों का पालन करना निगम एक्ट के विपरित है, ऐसे भैंस पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले का निर्माण कर भैंसों का पालन कर रहे हैं वे स्वयं अपने तबेलों को हटाकर शहर से बाहर ले जाये अन्यथा निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

**नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन
1 सितम्बर को 34 टन कचरा जुलवानिया पहुंचा**

रतलाम 01 सितम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 01 सितम्बर बुधवार को 34 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

01 सितम्बर बुधवार को डम्पर से 17700, काम्पेक्टर सूखा कचरा 5810, काम्पेक्टर गीला 8660, मैजिक 2770 किलो इस तरह कुल 34940 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

नो पार्किंग में खड़े 6 वाहनों को जब्त कर वसूला जुर्माना

रतलाम 01 सितम्बर । नगर में ऐसे नागरिक जो कि अपने वाहनों को नो पार्किंग में खड़ा कर यातायात व्यवस्था को बाधित करते हैं, उनके वाहन जब्त कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार चलाई जा रही है जिसके तहत 01 सितम्बर बुधवार को नो पार्किंग में खड़े 6 वाहनों को नगर निगम की क्रेन से जब्त कर संबंधितों से जुर्माना वसूला गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार 01 सितम्बर मंगलवार को चांदनी चौक क्षेत्र में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने पर हेमन्त-जसवंत सोनी गुजरात व गौरव-विजेन्द्र गादिया चांदनी चौक पर 500-500, संभव-सुभाष, नवदीप-जयंतलाल मूणत, विशाल-ईश्वरसिंह व नवीन-रमेशचन्द्र राहोरी पर 200-200 रुपये का जुर्माना किया गया।

12512 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 01 सितम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 01 सितम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 12512 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 01 सितम्बर को अलकापुरी, जवाहर नगर, इन्द्रलोक नगर, विनोबा नगर क्षेत्र से 8 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

980 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 01 सितम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के ज्ञोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु राशि रुपये 10,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 2429 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें

से 1245 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 962 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी तरह द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण हेतु 58 हितग्राहियों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से 43 आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा 18 हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

नगर निगम द्वारा नगरीय क्षेत्र रतलाम के पथ विक्रेताओं से अपील की जाती है कि जिन्हे प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत राशि रूपये 10,000/- का ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा ऐसे पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी राशि रूपये 10,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त हो चुका है व जमा करा दिया है वे द्वितीय कार्यशील पूंजी राशि रूपये 20,000/- का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु नगर निगम के ज्ञान कार्यालय अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, डॉ0 अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड, अमृत सागर उद्यान व हरमाला पम्प हाउस कार्यालय में कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर शीघ्र ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु पथ विक्रेता को आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

नगर निगम के पेंशनरो को देना होगा जीवित प्रमाण-पत्र

रतलाम 01 सितम्बर। संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के पेंशनरों को प्रत्येक वर्ष के माह दिसम्बर में जीवित प्रमाण-पत्र लिया जावेगा।

नगर पालिक निगम रतलाम के समस्त पेंशनरों से अपील की जाती है कि वे माह दिसम्बर 2021 से प्रत्येक वर्षान्त में जीवित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में निगम की पेंशन शाखा में अनिवार्य रूप से जमा करावें जीवित प्रमाण-पत्र नहीं जमा कराने पर जनवरी से पेंशन भुगतान नहीं किया जावेगा।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 01 सितम्बर । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना 2019 संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 01 सितम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व ज्ञान प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित ज्ञान प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 01 सितम्बर । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 01.09.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.